



माननीय न्यायालय म0प्र0 राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर म0प्र0

निगा - 667- II-16

प्रकरण क्रमांक / 16 निगरानी

अम्बुबाई पति स्व.शोभारामजी पाटीदार आयु  
72 वर्ष निवासी ग्राम उपरवाडा तह0  
पिपलोदा जिला रतलाम .....आवेदिका

विरुद्ध

1. पन्नालाल पिता चुन्नीलाल
2. गोपाल पिता रूपाजी

दोनो निवासीगण-ग्राम उपरवाडा तह0  
पिपलोदा जिला रतलाम.....अनावेदकगण

पुनरिक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

निगरानी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील  
पिपलोदा जिला रतलाम के प्रकरण क्रमांक 44/अ-6/2014-15  
में आदेश दिनांक 18/01/2016 के विरुद्ध

श्री अरवलाड कुर्सेही आदि  
के उपरोक्त हेतु पर  
प्रस्ताव आ 1

18-2-16

अरवलाड कुर्सेही  
18.2.16

R 667-III/16 RTM

24.6.2016

आवेदक की ओर से श्री अरवका  
कुर्छी आमिषाषक उपखेत, शाहपुरा  
पर (युना गया) उनका मुख्य रूप से  
तक है कि मात्र व्यवहार आयायन में  
प्रमाण प्रकाशित होने से तहसील आयायन  
द्वारा कार्रवाई स्थगित करने में अवधानपूर्वक  
की गई है। तक के समर्थन में 2010RN 325  
का शायद इच्छा प्रस्तुत किया गया।  
अपेक्षित प्रतिपादित शायद इच्छा के प्रकाश  
में तहसीलदार का आदेश खिस्त किया  
जाकर प्रमाण पुनर्दीर्घ पर विचारण करने  
के तहसीलदार को निर्देश दिये जाते  
हैं।

*[Signature]*

*[Signature]*  
अध्यास

*[Signature]*  
24-6-16